कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 353/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 02.10.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 02.10.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

01.साइबर क्राइम थाना आजमगढ़: शेयर मार्केट से लाभ कमाने के नाम पर साइबर फ्राड के 1,30,000/- रूपया पीड़ित के खाते में वापस कराया गया।

घटना का विवरण-

आवेदक अजय कुमार यादव s/o श्री हरिभुवन यादव ग्राम मुण्डा, पो0-जाफरपुर, थाना- सिधारी, आजमगढ़ के साथ शेयर मार्केट से लाभ कमाने के नाम पर 2 लाख 20 हजार रूपये की साइबर धोखाधड़ी हुई थी। जिसके सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा साईबर क्राईम पोर्टल के माध्यम से शिकायत नं0- 23107240079916 तथा दिनांक 18.11.2024 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं 58/24 धारा 318(4), 319(2) बीएनएस व 66 C आईटी एक्ट दर्ज कराया गया था।

बरामदगी का विवरण:-

आवेदक अजय कुमार यादव s/o श्री हरिभुवन यादव ग्राम मुण्डा, पो0-जाफरपुर, थाना- सिधारी, आजमगढ़ के साथ हुए साईबर फ्राड के सम्बन्ध मे शिकायत दर्ज होने के उपरान्त आवेदक का पैसा NCRP पोर्टल द्वारा PALLAVARAM शाखा TAMIL NADU स्थित फ्राडस्टर के HDFC बैंक के खाते मे कुल 1,30,000 रुपये को होल्ड करा दिया गया था। पैसा होल्ड होने के उपरान्त मा0 न्यायालय से कोर्ट आर्डर प्राप्त कर सम्बन्धित बैंक को भेजा गया जिस पर आवेदक का होल्ड हुआ कुल 1,30,000 रुपये आवेदक के खाते मे वापस करा दिया गया।

पुलिस टीम का विवरण:-

साईबर क्राइम थाना आजमगढ़

02.थाना – रौनापार: चोरी के बैटरी व एक मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

वादी श्री बालकेश पुत्र निरंजन साकिन आराजी देवारा करखिया (बाढ़ू का पुरा) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 23.09.25 को थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिये कि आरोपीगण द्वारा भिन्न-भिन्न तिथियों में भिन्न-भिन्न स्थानों से ट्रैक्टर की बैटरी, बिजली मोटर, साइकिल, टेंट का सामान आदि चोरी कर ले जाने है जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 354/25 धारा 331(2)/303(2)/305बी BNS बनाम 11.अंश उर्फ गठरी पुत्र लालधर साकिन बाढ़ू का पुरा थाना रौनापार आजमगढ़ 2. कन्हैया पुत्र महेन्द्र साकिन बाढ़ू का पुरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 3. गोलू पुत्र सीताराम पता अज्ञात 4.करन पुत्र अज्ञात पता अज्ञात 5.रितेश पुत्र अज्ञात पता अज्ञात 6.अमित पुत्र अज्ञात पता अज्ञात के पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 02.10.25 को उ0नि0 शिवम मिश्र हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कन्हैया पुत्र महेन्द्र साकिन बाढ़ू का पुरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को चोरी की बैटरी व एक मोटरसाइकिल के साथ खैरेलिया ढाला से 200-300 मीटर हैदराबाद वालो बन्धे के पासे से समय करीब 01.45 बजे रात्रि में पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 354/25 धारा 331(2)/303(2)/305बी/317(2)BNS थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-कन्हैया पुत्र महेन्द्र साकिन बाढ़ू का पुरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी:-

1-ट्रैक्टर की 01 अदद बैट्री, 01 अदद अपाची मो0सा0 बिना नम्बर प्लेट की

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 शिवम मिश्र मय हमराह थाना रौनापार आजमगढ़

03. थाना मुबारकपुरः दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक 01.10.2025 को थाना मुबारकपुर पर पीड़िता के पिता द्वारा तहरीर दिया गया कि लगभग 25 दिन पहले 09.00 बजे रात्रि मे पीड़िता शौच करने जाते समय अकेला पाकर अभियुक्त 1. आदित्य उर्फ पिलुआ पुत्र रामाश्रयर निवासी ग्राम चांड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ 2. सुमित पुत्र लालधर 3. अभिषेक पुत्र रामचन्द्र निवासीगण पियरोपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा दुष्कर्म किया गया। वीडियों बनाक सोशल मीडिया प्लेट फार्म पर प्रिन्स पुत्र लालधर निवासी पियरोपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा वायरल किया गया, के सम्बन्ध मे थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 432/2025 धारा 70(2)/351(3) बीएनएस 5G/6 पाक्सो एक्ट व 66A IT ACT पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना स्वयं प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर शशि मौलि पाण्डेय द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 02.10.2025 को प्र0नि0 मुबारकपुर शशि मौलि पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. सुमित पुत्र लालधर 2. अभिषेक पुत्र रामचन्द्र निवासीगण पियरोपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को मोलनामोड़ से सिक्सलेन अण्डरपास के तरफ जाने वाले रोड पर एकबारगी दबिश देकर समय 05.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. सुमित पुत्र लालधर निवासी पियरोपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
2. अभिषेक पुत्र रामचन्द्र निवासी पियरोपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 432/2025 धारा 70(2)/351(3) बीएनएस 5G/6 पाक्सो एक्ट व 66A IT ACT थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

प्र0नि0 श्री शशि मौलि पाण्डेय हमराह का0 बुटाई शाह, का0 रविकान्त थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

04. थाना तहबरपुरः चोरी की फर्जी सूचना देने व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा दर्ज, फर्जी सूचना देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरणः-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 02.10.2025 को समय 07.37 AM पर कालर हरिपत यादव ग्राम शिवरामपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा डायल 112 पर सूचना दिया गया कि हमारे घर में कल रात को चोरी हो गयी है, उक्त सूचना पर डायल 112 के पीआरवी नं0 5388 के कर्मचारी व थाना स्थानीय के हल्का प्रभारी उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी मय हमराह के मौके पर पहुँच कर अग्रिम विधिक कार्यवाही से की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः—

कार्यवाही के क्रम में पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि डायल 112 पर शैलेश यादव पुत्र हरिपत यादव उर्फ शोखा निवासी ग्राम शिवरामपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा सूचना दिया गया था, कालर से पूछताछ पर बताया गया की रात के 12.00 बजे के करीब छत के रास्ते घर में रखे बक्से का कब्जा तोड़कर उसमें रखे मेरी बहन का गहना जो 1 जोड़ी पायल (चादी का), एक जोडी झुमका (सोने का) एक माला (सोने का) अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया देखने पर सामान विखरा हुआ पड़ा है तथा उक्त बक्से का ताला लगा है, ताला का कब्जा टूटा है तथा कुछ सामान बाहर बिखरा पड़ा है तथा कुछ सामान बक्से में है। मौके पर कालर व उसकी पत्नी के मौजूदगी में बक्से की तलाशी ली गयी, तो बक्से के सामानो के नीचे कालर द्वारा बताये गये सभी गहने मौजूद मिले, जिसके सम्बन्ध में शैलेश यादव से पूछा गया तो गहने चोरी न होने की बात स्वीकार किया गया, कालर शैलेश यादव द्वारा जानबुझ कर बक्से की कुण्डी को तोड़कर झूठी सूचना दिया गया है, कि उपरोक्त शैलेश यादव को हिरासत पुलिस में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-शैलेश यादव पुत्र हरिपत यादव उर्फ शोखा निवासी ग्राम शिवरामपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 217/2025 धारा 217,353 BNS थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी, का0 हरदीश सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ

05.थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़: साइबर जागरूकता अभियान के तहत रोडवेज बस अड्डा जनपद आजमगढ़ पर प्रचार - प्रसार कर साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया।

दिनांक: 02.10.2025 श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा माह अक्टूबर (National Cyber Security Awareness Month) (NCSAM) मे साइबर जागरूकता माह मनाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। जिसके क्रम मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात नोडल अधिकारी साइबर क्राइम व क्षेत्राधिकारी सदर सहायक नोडल अधिकारी आजमगढ़ के निर्देशन मे आज दिनांक- 02.10.2025 को रोडवेज बस अड्डा आजमगढ़ पर साइबर जागरूकता अभियान के तहत साइबर अपराधो जैसे डिजीटल अरेस्ट मे फर्जी पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, साइबर पुलिस अधिकारी बनकर पैसे की मांग करना , मोबाइल फोन मे फर्जी एप्प डाउनलोड कराकर या लिंक पर क्लिक कराकर ठगी करना , गिफ्ट / लाटरी के नाम पर स्कैम, सोशल मीडिया (इस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, स्नैपचैट आदि) पर अन्जान व्यक्तियो / महिलाओ से दोस्ती करना, म्यूल अकाउट, फर्जी मोबाइल नम्बर आदि के बारे मे विस्तृत जानकारी देते हुए थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा लाउडहेलर चलाकर तथा पम्पलेट वितरण कर प्रचार – प्रसार करते हुए आमजनमानस को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक किया गया।
साइबर अपराध की घटना हो जाने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर फोन कर शिकायत दर्ज कराने तथा साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in की जानकारी दी गई।

उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी:

- म0नि0 श्रीमती विभा पाण्डेय थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़
- का0 महिपाल यादव थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़
- म0का0 प्रियंका गौड़ थाना साइबर क्राईम , आजमगढ़
- म0का0 संज्ञा थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़

सक्सेस स्टोरी मिशन शक्ति 5.0

थाना गंभीरपुर, दिनांक- 02.10.2025, जनपद आजमगढ़

मिशन शक्ति अभियान के तहत पीड़िता/वादिनी को भरण-पोषण हेतु कुल 01 लाख 34 हजार रूपयें इनके पति के द्वारा वादिनी के खातें में जमा कराया गया।

➡ अवगत कराना है कि मा0 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय प्रथम आजमगढ़ में लंबित परिवाद मु0न0 21/2016 अन्तर्गत धारा128 दंड प्रक्रिया संहिता व 144 BNSS भरण पोषण हेतु सविस्ता बनाम आलम में विचारण के दौरान भरण पोषण हेतु अभियुक्त मो0 आलम पुत्र अबुल कैश निवासी मोहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को आदेशित किया गया था। परन्तु अभियुक्त उपरोक्त बादस्तूर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहा था, जिस क्रम में वसूली वारंट दिनांक 22/008/25 को एक पक्षीय आदेश के क्रम में निर्गत किया गया था।

➡ जिसके अनुपालन में थाना गंभीरपुर की मिशन शक्ति टीम द्वारा उक्त अभियुक्त को पकड़ कर माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराते हुये पीड़िता को माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि दिलायी गयी।

➡ उल्लेखनीय है कि अवेदिका की शादी दिनांक- 20/12/2013 को हुयी थी, उसका विवाद दिनांक- 02/03/14 से चल रहा है। उसका एक 11 वर्ष का बच्चा भी है। विवाद से परेशान होकर उसके द्वारा माननीय न्यायालय में 03/04/2014 को वाद योजित किया गया था।

➡ विचारण के क्रम में माननीय परिवार न्यायालय आजमगढ़ द्वारा निर्वाह भत्ता दिलाने हेतु आरोपी उपरोक्त से वसूली कर आवेदिका को दिलाये जाने हेतु मा0 न्यायालय द्वारा वसूली वारंट निर्गत किया गया था।

➡ आवेदिका सविस्ता उपरोक्त द्वारा मा0 न्यायालय निरन्तर जाकर उक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु पैरवी की जा रही थी। उक्त वसूली वारंट के निष्पादन के क्रम में थाना गम्भीपुर पर नियुक्त उ0नि0 रामाश्रय प्रसाद व महिला हेल्प व मिशन शक्ति केन्द्र गम्भीरपुर की संयुक्त टीम द्वारा अपने अथक प्रयास एवं पूर्ण मनोयोग से तत्परता दिखाते हुए मा0 न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन कराते हुए काफ़ी दिनों से परेशान पीड़िता को अभियुक्त मो0 आलम उपरोक्त से आवेदिका के यूनियन बैंक के खातें में क्रमशः 49,000 रूपये, 49,000 रूपये, 12,500 व 34000 रूपये (कुल 134000 रूपये) 01 अक्टूबर तक जमा करवा कर निर्गत वसूली वारंट का निस्तारण कराया गया।

➡ महिला/वादिनी सविस्ता उपरोक्त का द्वारा जनपद की पुलिस, मा0 न्यायालय व सरकार का धन्यवाद दिया गया।

06. थाना रौनापारः टेलीग्राम पर गेम खेलने पर टास्क पूरा करके अधिक लाभ का लालच देने के नाम पर साइबर फ्राड के 14,068/- रूपया आवेदिका के खाते में वापस कराया गया।

घटना का विवरण-

अवगत कराना है कि आवेदिका कविता पुत्री जयनरायन निवासी खैरघाट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के द्वारा दिनांक 30.03.25 को टेलीग्राम पर गेम खेलने पर टास्क पुरा करने तथा अधिक लाभ देने मिलने का लालच देकर आवेदिका से 20,600/- रुपये का आनलाई साईबर धोखाधड़ी हो गया। जिसके सम्बन्ध मे आवेदिका द्वारा दिनांक 01.04.25 को साईबर क्राईम पोर्टल के माध्यम से साईबर फ्राड की शिकायत नं0 3310425xxxxxx दर्ज कराया गया।

बरामदगी का विवरणः-

दिनांक- 01.10.25 को आवेदिका कविता पुत्री जयनरायन निवासी खैरघाट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के साथ हुए साईबर फ्राड के सम्बन्ध मे थाना रौनापार की साईबर टीम द्वारा NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 33104250038289 दर्ज कराया गया। शिकायत दर्ज होने के उपरान्त आवेदिका का पैसा NCRP पोर्टल द्वारा HDFC बैंक के खाते मे कुल 14068.99 रुपये को होल्ड कर दिया गया। पैसा होल्ड होने के उपरान्त मा0 न्यायालय सो कोर्ट आर्डर प्राप्त कर सम्बन्धित बैंक को भेजा गय जिस पर आवेदका का होल्ड हुआ कुल 14,068.99 रुपये आवेदिका के खाते मे वापस कर दिया गया।

पुलिस टीम का विवरणः-

1.साईबर हेल्ड डेस्क टीम थाना रौनापार आजमगढ़

प्रेस नोट, दिनांक 02.10.2025

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

➡ माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन सुनिश्चित करने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से **मिशन शक्ति विशेष अभियान** प्रारंभ किया गया है। **मिशन शक्ति अभियान फेज–5.0** का शुभारम्भ **दिनांक 20 सितम्बर 2025** को **शारदीय नवरात्रि** के पावन अवसर पर किया गया।

इसी क्रम में **10वें दिवस दिनांक 02 अक्टूबर 2025** को जनपद **आजमगढ़** में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक **डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण / नोडल अधिकारी मिशन शक्ति **श्री चिराग जैन** तथा पर्यवेक्षण अधिकारी **श्रीमती आस्था जायसवाल, क्षेत्राधिकारी सदर** के नेतृत्व में विविध जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

मुख्य गतिविधियाँ:

01.महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा चौपाल कार्यक्रम:

➡ जनपद के विभिन्न **मन्दिरों**, **दुर्गा पूजा पण्डालों**, एवं **पंचायत भवनों** में महिला बीट पुलिस अधिकारियों ने चौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को **सरकारी योजनाओं**, **हेल्पलाइन नम्बरों** (1090, 112, 181, 1930 आदि) की जानकारी दी।

➡ **फुट पेट्रोलिंग** के दौरान रूक-रूककर स्थानीय महिलाओं से संवाद कर उन्हें आत्मरक्षा के प्रति सजग किया गया।

02.एण्टी रोमियो टीम द्वारा सघन चेकिंग:

➡ जनपद के चिन्हित **हॉट-स्पॉट स्थलों** पर सभी **एण्टी रोमियो टीमों** द्वारा सतर्क निगरानी रखते हुए सघन चेकिंग की गई, जिससे महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा की भावना और आत्मविश्वास का संचार हुआ।

➡ यह अभियान महिलाओं में **सुरक्षा के प्रति जागरूकता**, **कानूनी जानकारी** और **सरकारी संसाधनों** के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रेस नोट दिनांक: 01.10.2025
जनपद आजमगढ़

🔷सड़क पर चढ़ा शुरूर तो जेल जाओगे जरूर🔷

➡️ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के नेतृत्व में नशेबाजों पर की गई बड़ी कार्यवाही-

➡️ आपरेशन सड़क पर सुरूर अभियान के तहत जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा नशेबाजों के विरुद्ध की जा रही है कार्यवाही-

➡️ सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वाले कुल 38 व्यक्तियों को जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर नियमानुसार धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

➡️ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने दिए खुलेआम नशेबाजी करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश-

🔷जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों/शराब का सेवन करनें वालों पर कारवाई के निर्देश-

🔷"आपरेशन सड़क पर सुरूर" चलाकर पुलिस उतारेगी नशेबाजों के नशा का शुरूर

❖कार्यवाही के साथ ही मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति किया जा रहा जागरूक

❖कानून व्यवस्था को मजबूत रखने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ ही मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है मकसद

❖नशे के कारण परिवार को बिखरने से बचाना व युवा पीढ़ी को इस ज़हर से दूर रखना आजमगढ़ पुलिस का उद्देश्य-

☞शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति फेज 5 के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक (नगर/ग्रामीण) एवं समस्त क्षेत्राधिकारी के निकट पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में आजमगढ़ पुलिस द्वारा "आपरेशन सड़क पर सुरूर" अभियान शुरू किया गया है। जिसके तहत जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों/शराब का सेवन करनें तथा अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के तहत जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष को "आपरेशन सड़क पर सुरूर" अभियान लगातार चलाकर शराबी, नशेड़ी एवं अन्य प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन करने वाले अभ्यस्त व्यक्तियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं ऐसे संदिग्ध स्थलों (हाट स्पॉट) का चिन्हीकरण करते हुए प्रभावी/विधिक कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु सख्त निर्देश दिये गये हैं।

❖आजमगढ़ पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रहीं बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में विधिवत जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

➡"आपरेशन सड़क पर सुरूर" अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जा रहा है।

🚖 आजमगढ़ पुलिस

दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन 2025 हेतु यातायात रूट चार्ट आजमगढ़

➡ विषय: दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दृष्टिगत शहर में सुगम यातायात सुनिश्चित करने हेतु रूट चार्ट

📍 रूट-1: हाफिजपुर चौराहा, सदर अस्पताल, कोट चौराहा, काली चौराहा मार्ग की मूर्ति विसर्जन हेतु रूटमार्ग

◆ निर्धारित रूट:-

हाफिजपुर ⟶ सदर अस्पताल ⟶ हर्रा की चुंगी ⟶ कोट चौराहा ⟶ दलाल घाट ⟶ काली चौरा तिराहा ⟶ गांधी तिराहा ⟶ रैदोपुर तिराहा ⟶ शारदा चौराहा ⟶ सिधारी नया पुल होते हुए होमगार्ड ऑफिस के बगल में मूर्ति विर्सजन स्थल पर पंहुचेगे।

📍 रूट-2: जुनैदगंज चौराहा, लक्ष्छीरामपुर, पाण्डेय बाजार, पहाड़पुर तिराहा, तकिया, चौक मार्ग की मूर्ति विसर्जन हेतु रूटमार्ग

◆ निर्धारित रूट:-

जुनैदगंज चौराहा ⟶ लक्ष्छीरामपुर ⟶ पहाड़पुर तिराहा ⟶ तकिया ⟶ पुरानी कोतवाली ⟶ बडादेव तिराहा ⟶ अग्रसेन चौराहा ⟶ घंटाघर ⟶ गिरजाघर ⟶ ठंडी सड़क ⟶ शारदा चौराहा ⟶ सिधारी नया पुल होते हुए होमगार्ड ऑफिस के बगल में मूर्ति विर्सजन स्थल पर पंहुचेगे।

📍 रूट-3: भंवरनाथ चौराहा, बवाली मोड़ चौराहा मार्ग की मूर्ति विसर्जन हेतु रूटमार्ग

◆ निर्धारित रूट:

भंवरनाथ चौराहा ⟶ करतालपुर तिराहा ⟶ बवाली मोड़ ⟶ बन्धा मोड़ ⟶ गिरजाघर चौराहा (दाहिने) ⟶ ठंडी सड़क ⟶ शारदा चौराहा ⟶ सिधारी नया पुल होते हुए होमगार्ड ऑफिस के बगल में मूर्ति विर्सजन स्थल पर पंहुचेगे।

रूट-4: रेलवे स्टेशन, पहलवान तिराहा, हरवंशपुर मार्ग की मूर्ति विसर्जन हेतु रूटमार्ग

◆ निर्धारित रूट:-

रेलवे स्टेशन ⟶ पहलवान तिराहा ⟶ नरौली तिराहा (बाएं) ⟶ बन्धा मोड़ (बाएं) ⟶ गिरजाघर चौराहा (दाहिने) ⟶ ठंडी सड़क ⟶ शारदा चौराहा ⟶ सिधारी नया पुल होते हुए होमगार्ड ऑफिस के बगल में मूर्ति विर्सजन स्थल पर पंहुचेगे।

रूट-5: छतवारा तिराहा, हाइडिल चौराहा, मऊ रोड मार्ग की मूर्ति विसर्जन हेतु रूटमार्ग

◆ निर्धारित रूट:-

हाइडिल चौराहा ⟶ रामलीला मैदान ⟶ सिधारी मार्केट होते हुए होमगार्ड ऑफिस के बगल में मूर्ति विर्सजन स्थल पर पंहुचेगे।

महत्वपूर्ण सूचना:-

 विसर्जन के उपरांत सभी वाहन विसर्जन स्थल से कमिश्नरी तिराहा होते हुए अपने-अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे।

 यातायात व्यवस्था में सहयोग हेतु नागरिकगण कृपया निर्धारित रूट का ही प्रयोग करें।

किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने हेतु पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।

जिला पुलिस, आजमगढ़ द्वारा जारी

अपीलः-आपका सहयोग ही सुरक्षित और शांतिपूर्ण आयोजन की कुंजी है।